

27/01/25

प्रावली पैश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी
अपस्थित नहीं। इनके अनुपस्थिति रहने के कारण
प्रार्थना - पत्र से संबंधित मूल दावा अदम
पैरवी अदम हाजरी में खारिज हो चुका है।

नन्दलाल
Malka

Dayem

जिससे यह प्रार्थना-पत्र भी अब आगे चलने
योग्य नहीं है।

अतः यह प्रार्थना-पत्र भी इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय मैथुमार
की जावे तथा तृतीय तकमिल की जाकर दारिखल-
दफ्तर की जावे।

Dayender

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)

अधिकाप की
दुस्म की त
में जारी